

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

शुद्धि पत्र

गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश सं०-6/ब०गै०यो०-01-52/2015गृ०आ०-5222, दिनांक 06.07.2016 में अंकित "अग्रिम निकासी की स्वीकृति" के स्थान पर "निकासी की स्वीकृति" पढ़ा जाय।

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश की अन्य बातें एवं शर्तें यथावत रहेगी।
3. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-6/ब०गै०यो०-01-52/2015गृ०आ०.....7449.....पटना, दिनांक 15 सितम्बर, 2016
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना तथा आई०टी० प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राधा
14/09/16

सरकार के अवर सचिव

Prasad